


5/12/18

पत्रावली पेश हुई। वशील वादी  
उपरोक्त वशील वादी द्वारा न्यायालय  
के उपस्थित होकर राजस्व वाद  
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 के Not  
Press किया गया। अतः वकील  
वादी के Not Press करने से वादी  
का वाद खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फौजदारी मुद्दा होकर दाखिल  
कर दी। तब से कहें।

  
सहायक कलेक्टर  
चौहटन

Not Press  
